राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O);

पत्रांक : CCE/ISDC/RACE/2020-21/.349...; दिनांक : ..22.. Feb..2021

प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान ।

RACE योजनान्तर्गत

महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु अविलम्ब वैकल्पिक व्यवस्था

विषय : नव सृजित महाविद्यालयों सहित जीरो पोस्टिंग विषयों में RACE कार्यक्रमान्तर्गत व्यवस्था के संबंध में।

सन्दर्भ : आकाशि का आदेश क्रमांक CCE/ISDC/ RACE/2019/946; दिनांकः 12 July 2019;
आदेश क्रमांक CCE/P&C/ISDC/ RACE/2019/994; दिनांकः 29 July 2019;
आदेश क्रमांक CCE/ISDC/ RACE/2019/1354; दिनांकः 09 October 2019;
आदेश क्रमांक CCE/ISDC/ IPSUK/2019/1490; दिनांकः 13 Nov. 2019 एवं
आदेश क्रमांक CCE/ISDC/ RACE/2019/1766; दिनांकः 20 Jan. 2020 के क्रम में।

लेख है कि विगत सत्र में इस योजना के माध्यम से अनेकों व्यवस्थाएं जिला स्तर पर करके कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में विभाग ने एक नया आयाम स्थापित किया है। यह सफलता आप सभी प्राचार्यों एवं संकाय सदस्यों की सक्रिय भागीदारी एवं सहयोग का प्रतिफल है। इस सफलता के लिये आप सभी को हार्दिक बधाई।

वर्तमान सत्र में राज्य सरकार द्वारा सभी महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य अनुमत किया जा चुका है, एवं यथा सूचना महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की आवक हो रही है। अतः सभी महाविद्यालयों में सुचारु अध्यापन कार्य प्रबंधन हेतु RACE कार्यक्रमान्तर्गत व्यवस्थाऐं करवाई जानी है। इस संबंध में सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यें एवं विशेषतः DRAC अध्यक्ष प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि –

1. नवीन सृजित राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य व्यवस्था को प्राथमिकता प्रदान करते हुए सभी राजकीय महाविद्यालयों में संबंधित विषयों में अध्यापन कार्य हेतु आदेश क्रमांक CCE/ISDC/ RACE/2019/1354; दिनांकः 09 October 2019 के बिन्दु क्रम 2 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए 6/6 दिन के आधार पर अविलम्ब शिक्षकों को रोटेशन आधार पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. शिक्षण व्यवस्था हेतु भेजे जाने वाले शिक्षकों के क्रम में पारदर्शिता रखें। स्वयं DRAC अथवा अन्य महाविद्यालयों में जहां संबंधित विषय/विषयों में एक से अधिक संकाय सदस्य उपलब्ध हैं, अगर ऐसे महाविद्यालय निर्देशित दूरी सीमा में ही हैं, तो प्राथमिकता से यहीं से संकाय सदस्य भिजवाया जाना आरम्भ करें।
3. **किसी महाविद्यालय में किसी विषय में एक संकाय सदस्य होने पर भी उसे जीरो पोस्टिंग महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हित में अध्यापन व्यवस्था के लिये भिजवाया जाना है,** क्योंकि जीरो पोस्टिंग महाविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था एक अल्पकालिक व्यवस्था ही है।

4. यह पुनः स्पष्ट है कि इस योजनान्तर्गत संकाय सदस्यों को रोटेशन आधार पर एक माह में अधिकतम 06 कार्य दिवसों तथा एक सत्र में अधिकतम 03 बार अर्थात कुल 18 कार्य दिवसों के लिये ही भेजा जा सकता है। यदि इस व्यवस्था के अन्तर्गत भेजा गया कोई संकाय सदस्य इस वैकल्पिक व्यवस्था की अवधि में अवकाश लेता हे तो तद्नुरुप उसके वैकल्पिक कार्यव्यवस्था दिवसों में स्वतः अभिवृद्धि हो जायेगी। अर्थात, वैकल्पिक कार्यव्यवस्थार्थ में भेजे जाने वाले संकाय सदस्यों को निर्देशित अवधि का शिक्षण कार्य करना अनिवार्य है।

5. **शिक्षण व्यवस्था हेतु संकाय सदस्यों को रोटेशन आधार पर भिजवाये जाने के लिये आदेश कमांक CCE/ISDC/ RACE/2019/946; दिनांकः 12 July 2019 में यथा निर्देशित कम (कनिष्ठतम से वरिष्ठतम की ओर) का ही अनुशरण किया जाना है।** संकाय सदस्यों को रोटेशन आधार पर भिजवाये जाने के संबंध में उपर्युक्त **आदेश कमांक 946; दिनांक 12 जुलाई 2019 के बाद जारी आदेश, जिसमें वरिष्ठता से कनिष्ठता की ओर के कम में अनुशरण हेतु निर्देशित किया गया था, को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है।**

6. शिक्षण व्यवस्था हेतु संकाय सदस्यों को भिजवाये जाने के लिये आदेश कमांक CCE/ISDC/ RACE/2019/1354; दिनांकः 09 October 2019 के बिन्दु कम 1 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए 70 किमी से अधिक दूरी के महाविद्यालयों में DRAC के माध्यम से व्यवस्था (आयुक्तालय कालेज शिक्षा अथवा राज्य साकार के आदेशों की पालना को छोडकर) नहीं की जा सकती है। अतः अध्यापन व्यवस्थार्थ भिजवाये जाने वाले महाविद्यालयों के संबंध में सेवा प्रदाता एवं लाभार्थी महाविद्यालयों के बीच 70 किमी से अधिक दूरी नहीं हो, यह सुनिश्चित कर लें। इस दूरी (70 किमी.) से अधिक दूरी होने अथवा संबंधित विषय में संकाय सदस्य जिले में किसी भी महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अध्यापन व्यवस्था हेतु DRAC के माध्यम से आयुक्तालय, जयपुर को प्रस्ताव प्रेषित करें।

7. शिक्षण कार्य हेतु उचित दूरी (70 किमी.) दायरे में किसी विषय के संकाय सदस्य उपलब्ध नहीं होने पर यह देखें कि क्या संबंधित जिले में उस विषय के संकाय सदस्य किसी अन्य महाविद्यालय में उपलब्ध हैं। यदि हां तो इसकी सूचना आयुक्तालय को अपनी मांग के साथ भिजवायें ताकि इस संबंध में व्यवस्था के लिये आयुक्तालय स्तर पर निर्णय किया जा सके।

8. DRAC की बैठक में जारो पोस्टिंग महाविद्यालय द्वारा शिक्षण व्यवस्था हेतु संकाय सदस्य की मांग किये जाने पर जिस महाविद्यालय से संकाय सदस्य भिजवाया जाना है, वहां के प्राचार्य की सहमति अनिवार्य है। यह व्यवस्था परस्पर सहमति आधार पर विद्यार्थी हित केन्द्रित व्यवस्था है। अतः DRAC अध्यक्ष इस संबंध में परस्पर सहमति प्राप्त करके ही आदेश जारी करें। साथ ही उन संबंधित प्राचार्यों, जहां से संकाय सदस्य को भिजवाया जाना है, द्वारा भी जीरो पोस्टिंग महाविद्यालयों के विद्यार्थियों का हित ध्यान में रखकर सहयोग करना अनिवार्य है। परन्तु संकाय सदस्य भेजे जाने के कम के संबंध में इस आदेश के बिन्दु कम 2 का अनुशरण सुनिश्चित करें।

9. हर 02 माह में होने वाली DRAC की बैठक में सभी सदस्य महाविद्यालयों के प्राचार्य व्यक्तिशः उपस्थिति सुनिश्चित करें, ताकि योजना विमर्श एवं व्यवस्था संबंधी निर्णय समय पर निस्तारित हो सकें।

10. प्रायः देखा गया है कि DRAC की बैठकें केवल जीरो पोस्टिंग महाविद्यालयों में संकाय सदस्यों को भेजने के कार्य तक ही सीमित हो रही है। इस संबंध में ध्यान दें कि DRAC के दायित्वों का दायरा वृहद है। इसमें नवीन/अपेक्षाकृत छोटे/रिमोट कॉलेजेज की अन्य समस्यायों तथा उनके विकास की विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा होनी चाहिये। इनमें से जिला स्तरीय कार्यों को DRAC के माध्यम से निस्तारित करवाकर एवं आयुक्तालय से अपेक्षित कार्यों के बारे में प्रस्ताव प्रेषित करके इन महाविद्यालयों के स्तर उत्थान का कार्य किया जा सकता है। साथ ही, जिले के संभी महाविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्द्धन एवं संकाय सदस्यों के अकादमिक उन्नयन की दिशा में योजना निर्माण तथा कार्यक्रम आयोजन पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

11. ज्ञान गंगा कार्यक्रम की तरह संकाय सदस्यों के अकादमिक उन्नयन हेतु जिला स्तर पर भी विभिन्न महावद्यिालयों को दायित्व देकर कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा सकता है। इसके साथ साथ ही शैक्षणिक गुणवत्ता हेतु शोध कार्य प्रोत्साहन को भी प्राथमिकता दें।

इस संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता अथवा मार्गदर्शन हेतु नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ के निम्न अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं –

1.	डॉ. विनोद कुमार भारद्वाज	: प्रभारी अधिकारी नवा. एवं कौशल विकास	9414304650
2.	डॉ. शिवांगना शर्मा	: सह आचार्य, नवा. एवं कौशल विकास	9461519852
3.	डॉ. ललिता यादव	: सह आचार्य, नवा. एवं कौशल विकास	9529993619
4.	डॉ. विश्राम मीना	: सहा. आचार्य, नवा. एवं कौशल विकास	9950373686

22/02.
संदेश नायक, IAS
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

पत्रांकः CCE/ISDC/RACE/2020-21/..350-51..; दिनांक : .22. Feb. 2021
सूचनार्थ प्रतिलिपिः

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. समसत संयुक्त निदेशक, आकाशि, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान।
7. सभी प्रभारी अधिकारी, महाविद्यालय समूह, आकाशि, जयपुर।
8. वैब प्रभारी, आकाशि को वैबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई–मेल करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

22/2/2021
डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी अधिकारी,
नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ